न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/27/2021	2021/32	01–03–2021	10–03–2021

01– सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़–बास जिला अलवर राजस्थान –प्रार्थी

बनाम

01– श्री नूरदीन पुत्र श्री कालेखां निवासी ग्राम देवता तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर (फर्म प्रतिनिधि)
02– मैसर्स गुरनानी खाद बीज भण्डार, किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0।
–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत जब्त प्याज बीज को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–
01– रूद्रकिशोर सैनी –वकील अप्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रकरण बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़–बास द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 25.02.2021 को जरिये फोन श्री गोपाल लाल मीणा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़–बास एवं श्री पूरण चंद मीणा उप–निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार किशनगढ़बास की दुकान के बाहर कृषकों को अनाधिकृत रूप से बीना बिल एवं बिक्री से संबंधित कागजात रहित प्याज का बीज बेचा जा रहा है। जिसकी जांच हेतु कार्यालय के श्री धर्मपाल यादव कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री राजेन्द्र सिंह कृषि पर्यवेक्षक के साथ मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार की दुकान पर पहुंचे। वहां पर मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार का प्रतिनिधि श्री नूरदीन पुत्र कालेखां निवासी ग्राम देवता तहसील किशनगढबास मौजूद था। जिसके पास 35 किग्रा प्याज बीज था। पूछताछ में नूरदीन ने बताया कि वह मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार किशनगढ़–बास के यहां काम करता है तथा फर्म के मालिक श्री ललित गुरनानी के निर्देश पर दुकान के बाहर खाद बीज का विक्रय कर रहा है। उसने बताया कि उसके पास बीज विक्रय करने का वैध अनुज्ञा–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। जब्ती के उपरांत उसके द्वारा फर्म के मालिक श्री ललित गुरनानी से दूरभाष पर वार्ता करायी गयी। फोन पर अवगत कराया गया कि उक्त व्यक्ति मेरी फर्म में कार्यरत है तथा मेरे कहने से बीज का विक्रय कर रहा है। मेरे द्वारा अन्यत्र शादी में जाने के कारण इसको बिल बुक

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आदि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त प्याज बीज का बगैर वैध बीज विक्रय अनुज्ञा–पत्र के अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा था। इसलिए उक्त 35 किग्रा प्याज बीज को जब्त किया गया एवं श्री नीरज प्रतिनिधि ग्राम सेवा सहकारी समिति किशनगढ़बास को सुपुर्द किया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को विक्रय पर रोक लगाने का नोटिस दिया गया। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जब्त 35 किग्रा प्याज बीज को राजसात व निस्तारण करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है उक्त दुकान पर में काम करता हूं। दिनांक 25.02.2021 को ललित कुमार गुरनानी अपने भान्जे की शादी में जोधपुर गया था। उस दिन वह दुकान व गौदाम की चाबी अपने चचेरे भाई के लडके को देकर गये थे। मैं भी उस दिन काम पर था। उस दिन उनके चाचा का लडका दुकान की चाबी गलती से घर ही छोड़ आया था जो कि दुकान से लगभग 13 किलोमीटर दुरी पर है। मुझे गौदाम की चाबी देकर खुद दुकान की चाबी लेने बल्लभग्रम चला गया। मैं गौदाम से प्याज का बीज लेकर दुकान पर रखने के लिए लाया तो उसी समय कोई किसान प्याज बीज की पूछताछ के लिए आया तो मैंने उसे प्याज के बीज व उसके दाम के बारे में बताया। सुबह 10.55 बजे मैंने गौदाम खोला तथा किसान को जानकारी दे रहा था तभी 11.10 बजे किसी विभाग के अधिकारी वहां आये और मेरे द्वारा जो गौदाम से बीज निकालकर दुकान पर रखने हेतु बाहर निकाला तो उसके अवैध कार्यवाही करते हुए 35 किग्रा प्याज का बीज जब्त कर अपने साथ ले गये। जिस बाबत मैनें फर्म के मालिक श्री ललित कुमार गुरनानी से कृषि विभाग के अधिकारी की फोन पर बात करायी। फर्म मालिक द्वारा कहां गया कि नूरदीन हमारी दुकान का वर्कर है जो करीब डेढ़ साल से हमारे यहां कार्य कर रहा है। गौदाम से माल निकालकर दुकान में रखा गया है। इसके द्वारा किसी प्रकार का कोई बेचान कार्य नहीं किया जा रहा है। दुकान की चाबी गलती से घर पर रह गयी जिसे लेने मेरा भतीजा गया है जो शीघ्र आ रहा है। मेरे मालिक द्वारा फोन पर सारी बात बताने के बाद भी कृषि प्याज का बीज अपने साथ लेकर चले गये। मेरे द्वारा उस दिन किसी प्रकार का कोई बीज का बेचान नहीं किया गया। मेरे फर्म मालिक की दुकान से जो भी बीज या माल विक्रय किया जाता है उसका स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज होता है। कृषि अधिकारी द्वारा गलत रूप से कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के वैध रूप से रखे गये बीजों को जब्त किया गया है। जब्त किये गये बीज प्याज के है जिनके विक्रय का मुख्य सींजन 07 से 10 दिन शेष है। जिसके पश्चात् उक्त बीज की बुआई का समय निकल जावेगा। उक्त प्याज का बीज केवल उक्त सींजन में काम में लिया जा सकता है। इसलिए जब्त बीज को प्रार्थी को लोटाया जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जब्तशुदा प्याज का बीज मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार किशनगढ़बास के मालिक श्री ललित कुमार गुरनानी को दे दिया जावें।

वकील अप्रार्थी सं. 2 ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है प्रार्थी दिनांक 25.02.2021 को सुबह 8 बजे अपने निवास से जोधपुर के लिए निकल गया था। मेरी दुकान व गौदाम की चाबी चचेरे भाई के लडके को देकर गया था। मेरे —

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

चचेरे भाई का लडका व मेरी दुकान का वर्कर नूरदीन पुत्र कालेखां निवासी देवता दुकान पर थे। उस दिन मेरे चाचा का लडका दुकान की चाबी गलती से घर पर ही छोड आया था। दुकान से घर बल्लभग्राम 13 किलोमीटर दुर है। वर्कर नूरदीन को चाचा का लडका गौदाम की चाबी दे गया और दुकान की चाबी लेने के लिए अपने घर चला गया। नूरदीन गौदाम से प्याज का बीज लेकर दुकान पर रखने के लिए लाया। उसी समय कोई किसान मेरी दुकान पर प्याज की बीज की पूछताछ के लिए आया तो नूरदीन ने उस बीज के बारे मे बताया तथा बीज के दाम भी बताया। सुबह 10.55 बजे नूरदीन ने गौदाम खोला तथा 11 बजे करीब किसान को दुकान पर बीज के दाम की जानकारी दी। 11.10 बजे पर कृषि विभाग के अधिकारी मेरी दुकान पर आये। मेरी दुकान बन्द होने कारण दुकान के बाहर रखा 35 किग्रा प्याज का बीज जब्त कर अपने साथ ले गये। मेरे वर्कर नूरदीन द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पर मेरी बात करायी गयी। 11.40 बजे पर मेरे चाचा का लडका दुकान की चाबी लेकर आया तो उससे पहले ही कृषि विभाग के अधिकारी मेरी दुकान से प्याज के बीजों को जब्त कर अपने साथ ले जा चुके थे। उसके बाद मेरे चाचा के लडके व नूरदीन ने दुकान खोल दी। कृषि विभाग द्वारा मेरी दुकान से जब्त किये 35 किग्रा प्याज के बीज का समस्त रेकॉर्ड बिल आदि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है। मेरे वर्कर नूरदीन द्वारा प्याज के बीज व अन्य किसी सामान को विक्रय नहीं किया गया है। मेरी दुकान से जो भी माल या बीज विक्रय किया जाता है उन सभी का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में होता है। दिनांक 28.02.2021 को प्रार्थी जोधपुर से रात करीब 7 बजे वापस अपने घर आया था। दिनांक 20.02.2021 को बीज गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के दौरान श्रीमान् अति0 निदेशक (आदान) जयपुर, संयुक्त निदेशक (तिलहन) भरतपुर व उप निदेशक (उद्यान) जयपुर ने मेरी दुकान का निरीक्षण किया था जिसमें मेरे प्रतिष्ठान पर कोई भी त्रुटि नहीं पायी गयी थी। कृषि अधिकारी द्वारा गलत रूप से कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के वैध रूप से रखे गये बीजों को जब्त किया गया है। जब्त किये गये बीज प्याज के है जिनके विक्रय का मुख्य सींजन 07 से 10 दिन शेष है। जिसके पश्चात् उक्त बीज की बुआई का समय निकल जावेगा। उक्त प्याज का बीज केवल उक्त सींजन में काम में लिया जा सकता है। इसलिए जब्त बीज को प्रार्थी को लोटाया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जब्तशुदा प्याज का बीज मुझको दे दिया जावें।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीजर नोट एवं मौका पर्चा में जब्त किये गये प्याज बीज क्रम संख्या 1 लगा0 8 से संबंधित बिल क्रमांक 2373 दिनांक 20.02.2021, बिल नं0 8938 दिनांक 20.02.2021 एवं 01 दि0 20.02.2021 अप्रार्थी नं0 2 द्वारा पेश किये गये है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा स्टॉक रजिस्टर की प्रति भी पेश की गयी है। जिसमें उक्त बिलों का इन्द्राज दर्शाया हुआ है। बीज निरीक्षक द्वारा स्टॉप सेल ऑर्डर में भी बीना बिल के विक्रय करते पाये जाने पर ही विक्रय पर रोक लगाई गई है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि तत्समय फर्म के मालिक के नहीं होने के कारण प्याज बीज संबंधी बिल —

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

व स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने कारण बीज निरीक्षक द्वारा उक्त माल की जब्ती की कार्यवाही की गयी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़–बास द्वारा जब्त किया गया 35 किग्रा प्याज के बीज को मै0 गुरनानी खाद बीज भण्डार किशनगढ़–बास के मालिक श्री ललित कुमार गुरनानी को सुपुर्द कर दिया जावें।

निर्णय की प्रति बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़–बास को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)